टी.एल.पत्र

परिशिष्ट - अ

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 19-15 /2006/12/1, भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2006

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला ....
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य हेतु गौण खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा खदानों के आरक्षण बाबत्।

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण का कार्य वर्ष 2001 से प्रचलित है, परन्तु शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि उक्त योजना अंतर्गत निर्माण कार्य गौण खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित न होने से प्रभावित हो रहे है।

2. शासन के विभिन्न निर्माण कार्यों में गति लाने एवं भविष्य में निर्माण कार्य हेतु गौण खनिजों यथा गिट्टी, मुरुम, पत्थर, बोल्डर आदि एजेंसियों/ठेकेदारों को सुगमता से उपलब्ध हो सकें तथा शासन को प्राप्त होने वाली रायल्टी की क्षति भी न हो इसे ध्यान में रखते हुए जारी किये जाते हैं :-

1. मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन निर्माणाधीन सड़कों हेतु गिट्टी/मुरुम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीण सेवा हेतु चिन्हित खदानों का आरक्षण किया जावेगा। खदानों को चिन्हित एवं आरक्षण करने की कार्यवाही महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। यह कार्यवाही जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु संयुक्त जांच दल (जिसमें वन, राजस्व, खनिज तथा संबंधित निर्माण विभाग के अधिकारी रहेंगे) के प्रतिवेदन के आधार पर की जावेगी।

2. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत अधिकारी विभागीय ठेकेदारों को उपरोक्तानुसार आरक्षित

कार्यालय कलेक्टर होशंगाबाद
प्राप्ति ....
06 FEB 2006
क्र. 1143

कलेक्टर
होशंगाबाद

खदानों से खनिज निकालने की अनुमति दे सकेंगे। जारी की गई अनुमति की एक प्रति कलेक्टर (खनिज शाखा) को दी जायेगी।

3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, को अग्रिम रायल्टी के भुगतान किये बगैर जिला कार्यालय की खनिज शाखा से पैकेजवार ट्रांजिट पास/पिट पास की किताबें जारी की जायेगी।

4. आरक्षित खदानों से विभागीय ठेकेदारों द्वारा पत्थर/गिट्टी का परिवहन ट्रांजिट पास/पिट पास के माध्यम से ही किया जायेगा। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रति तिमाही उनके द्वारा ठेकेदारें को जारी किये गये ट्रांजिट पास/पिट पास की जानकारी उत्खनन किये गये खनिज की मात्रा की जानकारी सहित कलेक्टर (खनिज शाखा) में जमा कराई जायेगी। जारी किये गये परमिटों का खनि अधिकारी द्वारा हिसाब किताब रखा जायेगा और संबंधित विभाग से उसका मिलान भी समय समय पर किया जायेगा।

5. विभाग द्वारा ठेकेदारों के बिल से रायल्टी की राशि काटी जायेगी। ठेकेदारों के बिलों से काटी गई रायल्टी की राशि 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च तक तिमाहीवार चालान के माध्यम से बैंक में जमा कराई जायेगी तथा चालान की मूल प्रति कलेक्टर (खनिज शाखा) में जमा कराई जायेगी तथा पिट पास/ट्रांजिट पास बुक की निर्धारित मुद्रण कीमत भी जमा कराई जावेगी।

6. कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार के फायनल बिल का भुगतान करते समय महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण उस कार्य में उपयोग हुए समस्त पत्थर/गिट्टी हिसाब बनाकर रायल्टी की अवशेष राशि फायनल बिल से काटकर कोषालय में खनिज मद में जमा कराते हुए कलेक्टर (खनिज शाखा) को विवरण भेजेंगे।

7. मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारी खनिज विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों को समय समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के लिए आरक्षित क्षेत्रों से लोक निर्माण विभाग की सड़कों के लिए भी पत्थर/मिट्टी का उत्खनन किया जा सकेगा।

9. उपर्युक्त पैरा क्रमांक 2 से 5 तक की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के लिये भी यथावत लागू होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डा. देव राज बिरदी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्र0 एफ 19— 15 /2006/12/1, भोपाल, दिनांक 31 जनवरी,2006

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. समस्त आयुक्त मध्यप्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी, जिला कार्यालय ..... जिला .....।
6. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग